राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2676/2023

बृजलाल मीना **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सवाई माधोपुर।
4. श्री रमेश चन्द मीणा, स्थानीय एमएलए विधानसभा सपोटरा क्षेत्र, जिला करौली एवं मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.10.2023
आदेश की दिनांक : 23.01.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री आर.डी.मीणा अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खाण्डपा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 29.09.2023 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को सहायक अभियंता के पद पर बहाल करते हुए समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ अभियंता के पद पर दिनांक 22.04.1998 को हुई थी और उसे वर्ष 2013 में सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया तथा पंचायत समिति, सपोटरा, जिला करौली पदस्थापित किया गया और आदेश दिनांक 12.10.2022 के द्वारा अपीलार्थी को आबू रोड सिरोही से पंचायत समिति, सवाई माधोपुर, जिला सवाई माधोपुर पदस्थापित किया गया। आदेश दिनांक 13.01.2023 के द्वारा अपीलार्थी को पंचायत समिति राजगढ़, चूरू स्थानान्तरित किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 348/2023 प्रस्तुत की, जिसके क्रम

में अधिकरण ने आदेश दिनांक 20.01.2023 को उक्त आदेश की क्रियान्विति को स्थगित करते हुए अंतरिम आदेश जारी किया। उनका कथन है कि अपीलार्थी की पत्नी हुकमबाई मीणा जो समाज कल्याण बोर्ड में सदस्य हैं तथा कांग्रेस कमेटी की भी सदस्य हैं और आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव में सपोटरा विधानसभा क्षेत्र से आवेदन कर रही हैं तथा सपोटरा विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान एमएलए श्री रमेश चन्द मीणा जो मंत्री हैं और करौली सर्किट हाऊस में कांग्रेस दावेदारों के समर्थकों में जमकर लात घूसे चले, जो मंत्री खाचरियावास एवं धीर गुर्जर के सामने टिकट मांग रहे कांग्रेस के दो दावेदारों के समर्थकों में लात घूसे चले और जिसमें श्री रमेश चन्द मीणा मंत्री ने बदला लेने के लिए सरकारी अधिकारों का दुरूपयोग करके अपीलार्थी को एवं उसकी पत्नी को धमकी दी और अपीलार्थी को अपील वापिस लेने का दबाव डाला, जिसमें अपीलार्थी ने अपील वापस ली और आदेश दिनांक 11.09.2023 के द्वारा राजगढ, चूरू के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया और निलंबन आदेश दिनांक 29.09.2023 के द्वारा अपीलार्थी को निलंबित कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 29.09.2023 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को सहायक अभियंता के पद पर बहाल करते हुए समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी द्वारा पदीय दुरूपयोग कर वित्तीय अनियमितताएं और राजकार्य में उदासीनता कारित किए जाने के कारण राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए विभागीय जांच कार्यवाही पर विपरीत प्रभाव डाले जाने की आशंका को दृष्टिगत आदेश दिनांक 29.09.2023 के द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा निलंबित किया जाकर मुख्यालय पंचायती राज विभाग किया गया, जारी आदेश पूर्णतः विधि सम्मत है। पंचायत समिति, सवाई माधोपुर से प्राप्त टी.एस. स्वीकृति रजिस्टर के अनुसार दिनांक 23.11.2022 को ग्राम पंचायत आवंटित होने के उपरांत भी उन्होंने 8 माह पश्चात् जुलाई 2023 से तकनीकी स्वीकृतियां जारी करना प्रारंभ किया अर्थात् 8 माह तक उनके द्वारा कोई तकनीकी स्वीकृतियां जारी नहीं की गई। राज्य वित्त आयोग VI माह अगस्त, 2023 की एमपीआर के अनुसार वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 के अंतर्गत लगभग शून्य कार्य पूर्ण हुए हैं, जो कि राज कार्य में घोर लापरवाही का द्योतक है और इस प्रकार अपीलार्थी ने अपने पर्यवेक्षणीय दायित्वों का निर्वहन नहीं कर वित्तीय अनियमितताएं

एवं पदीय दायित्व का दुरूपयोग किया है और इस प्रकार डब्ल्यू.बी.एम. में की गई वित्तीय अनियमितताओं के कारण जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी से रूपये 80,938/– वसूली योग्य हैं और इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी किया गया आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 29.09.2023 पूर्णतः विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील के जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा गठित जांच टीम द्वारा अपीलार्थी पर गलत आरोप लगाए गए हैं। अपीलार्थी ने तकनीकी स्वीकृतियां ऑफलाईन एवं ऑनलाईन दोनो तरह से समय–समय पर जारी कीं। पंचायत समिति, सवाई माधोपुर में 2 सहायक अभियंता और 5 तकनीकी सहायक कार्य कर रहे थे और सभी की जांच उपरांत निर्देश जारी किए गए हैं। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार की कोई राजकीय कार्यों में कोताही नहीं बरती गई है और गलत तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी को दोषी मानते हुए निलंबित किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ अभियंता के पद पर दिनांक 22.04.1998 को हुई थी और उसे वर्ष 2013 में सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी की पत्नी हुकमबाई मीणा जो समाज कल्याण बोर्ड में सदस्य हैं तथा कांग्रेस कमेटी की भी सदस्य हैं और आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव में सपोटरा विधानसभा क्षेत्र से आवेदन कर रही हैं तथा सपोटरा विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान एमएलए श्री रमेश चन्द मीणा जो मंत्री हैं और करौली सर्किट हाऊस में कांग्रेस दावेदारों के समर्थकों में जोरदार जमकर झगडा होने तथा श्री रमेश चन्द मीणा मंत्री द्वारा बदले की भावना के आधार पर सरकारी अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध जांच बैठाने और तदुपरान्त उसे निलंबन आदेश द्वारा निलंबित किए जाने का प्रश्न है, हम अपीलार्थी के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री रमेश चंद मीणा द्वारा सरकारी शक्तियों का दुरूपयोग करते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध जांच करवाई गई हो और जिसके आधार पर अपीलार्थी को निलंबित किया गया हो। चूंकि अपीलार्थी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट रूप से प्रकट हो सके

कि श्री रमेश चंद मीणा मंत्री द्वारा सरकारी शक्तियों का दुरूपयोग करते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध जांच जारी कर निलंबित किया गया हो। बल्कि हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी द्वारा पदीय दुरूपयोग कर वित्तीय अनियमितताएं कारित की गई, जो आदेश दिनांक 04.09.2023 द्वारा गठित जांच दल की रिपोर्ट के अनुसार पंचायत समिति, सवाई माधोपुर से प्राप्त टी.एस. स्वीकृत रजिस्टर के अनुसार दिनांक 23.11.2022 को ग्राम पंचायत आवंटित होने के उपरांत भी 8 माह पश्चात् जुलाई 2023 से तकनीकी स्वीकृति जारी करना प्रारंभ किया और ई–पंचायत पोर्टल पर उनके द्वारा माह जुलाई, 2023 में उदासीन और अपने कर्त्तव्य के निर्वहन में पूर्ण रूप से लापरवाह होने के कारण वित्तीय अनियमितताएं कारित कीं, जो राज कार्य में घोर लापरवाही का द्योतक है। अपीलार्थी द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार कार्यों का पर्यवेक्षण नहीं किया गया, जिससे सीसी रोड निर्माण के मूल्यांकन करते वक्त पूर्व में निर्मित सीसी रोड का ध्यान नहीं रखते हुए अनावश्यक रूप से डब्ल्यू.बी.एम. कार्य का मूल्यांकन किया गया और इस प्रकार की गई वित्तीय अनियमितताओं के कारण जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी से रूपये 80,938/– वसूली योग्य निर्धारित किए गए, इससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी ने अपने कर्त्तव्यों का सही एवं जिम्मेदारी से निर्वहन नहीं किया। अतः अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल न होने के कारण अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य